FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेलनगर

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
अरूण कुमार		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–158/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.11.2021	प्रार्थी अरूण कुमार, मोहनलाल पिसरान जवानराम, पानीदेवी पुत्री जवानराम जातियान कुम्हार निवासीगण पटेलनगर तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प पटेलनगर में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1713 रकबा 1.6342 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1716 रकबा 1.7394 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1728 रकबा 1.1164 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1737 रकबा 0.9142 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1738 रकबा 3.2360 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1855 रकबा 0.4773 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल रकबा 9.4492 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता जवानराम पुत्र सांवताराम जाति कुम्हार की थी। वादी के पिता को घर पर लाड प्यार से दो नाम जवानराम व जावताराम पुकारते थे। जवानराम व जावताराम एक ही व्यक्ति है। राजस्व रेकर्ड में अज्ञानतावश वादी के पिता ने अपना नाम जवानराम के बजाय जावताराम दर्ज करवा दिया। वादी के पिता का देहान्त दिनांक 10.06.2014 को हो चुका है। [illegible] पिता की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी के पास जाकर सम्पर्क किया, एवं अपने दस्तावेज जमाबंदी, अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (जवानराम पत्र सांवताराम),अपनी माताजी केसूदेवी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी जवानराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड तथा अपने पिता का पहचान पत्र आदि हल्का पटवारी को बताया और निवेदन किया कि फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया जावें जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात देखकर वादी को बताया कि आपके सरकारी दस्तावेज में आपके पिता का नाम जवानराम लिखा हुआ है और आपके पिता का नाम जमाबंदी में जावताराम दर्ज किया हुआ है इस कारण फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है आप राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का नाम शुद्धि करवा कर लावें तब ही आपको फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया जायेगा। अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में जावताराम पुत्र सांवताराम के स्थान पर अरूणकुमार, मोहनलाल पिसरान जवानराम, पानीदेवी पुत्री जवानराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी अरूण कुमार, मोहनलाल ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी अरूण कुमार का आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा मोहनलाल का राशनकार्ड तथा अपने पिता जवानराम का पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अपनी माताजी

केसूडी का पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा ग्राम पटेलनगर की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069, खसरा नम्बर 1748/6, खसरा नम्बर 1750 (जवानराम पुत्र सांवताराम) आदि पेश किये है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 3 ओगड़राम पुत्र भोलाराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर के बयान कलमबद्ध करायें गये। ग्राम पंचायत पटेलनगर द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया गया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नं जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि हमारी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में हमारे पिता का नाम फौतेदगी नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इस कारण दावा को पेश करना पड़ रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादीगण ने सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही साक्ष्य सबूत के तौर पर दस्तावेज पेश किया है इस कारण वादीगण का दावा सबुतों के अभाव में खारिज किया जाता है। वादीगण नया दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। इसी माफिक निर्णय की डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम पटेलनगर में खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेलनगर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. अरूण कुमार पुत्र जवानराम		राजस्थान सरकार
2.मोहनलाल पुत्र जवानराम		तहसीलदार बिलाड़ा
3.पानी देवी पुत्री जवानराम		
जातियान कुम्हार निवासीगण पटेलनगर तहसील बिलाड़ा		

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 158/2021

निर्णय **दिनांक** :– 18.11.. 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल [illegible] व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब [illegible] पे[illegible] होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण ने सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही साक्ष्य सबूत के तौर पर दस्तावेज पेश किया है इस कारण वादीगण का दावा साक्ष्य सबुतों के अभाव में खारिज किया जाता है। वादीगण नया दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:39 IST
Reason: SelfAttested